ए. पी. एस .आर. टी. सी. आरईपी. द्वारा मुख्य विधि अधिकारी

बनाम

एम.पेटीया चारी

30 अगस्त 2007

(एस बी सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे जे)

मोटर वाहन अधिनियम

अन्तर्गत धारा 163 व 166, द्वितीय अनसूची -मोटर दुर्घटना स्थाई अयोग्यता- मुआवजे का आकलन 38 साल का एक व्यक्ति जिसकी दुर्घटना कारित हुई और वह स्थाई रूप से अयोग्य हो गया ओर उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गयी। उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया। उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में तर्क दिए गए कि उच्चतम न्यायालय मे हस्तक्षेप के बाबत् याचिका पेश की गयी- निर्धारित किया गया कि इस प्रकरण में न्यूनतम देय मुआवजे में पीडित द्वारा सहन की गयी अयोग्यता की पीडा मानी जानी चाहिए। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद के तहत विवेकाधिकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 में उचित एवं उपयुक्त नहीं है। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 2(1)- भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136

धारा-166 क्षतिपूर्ति निर्धारित करने वाले कारक-निर्धारित किए गए

प्रत्यर्थी की उम्र 38 साल की थी और वह एक बढई के रूप में एक कम्पनी में 4,500/- रूपए मासिक वेतन पर कार्य करता था। वह अपीलार्थी निगम की बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गया जबकि वह अपने दोपहिया के वाहन पर सवार होकर जा रहा था और उसके अनेक गम्भीर चोटें आयी, जो उसके शरीर के विभिन्न स्थानों पर आयी थी और उसके सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। अपीलार्थी के 6 आश्रित थे, उसके माता पिता, पत्नी व उसके तीन बच्चे। उसने मोटर अधिनियम के अन्तर्गत धारा 166 में क्षति का दावा किया और अधिकरण के द्वारा 85 हजार रूपए का अवार्ड 12 प्रतिशत की ब्याज के तहत जारी किया। उसने माननीय उच्च न्यायालय में क्षतिपूर्ति की राशि बढाने के लिए अपील की जो राशि 1,62,800/- रूपए बढाने के लिए 15 के गुणाक से देने बाबत् अपील की गयी।

इस अपील न्यायालय में अपीलार्थी ने यह तथ्य सामने रखे कि इस मामले में सही गुणाक 12 होता है, न कि 15, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गयी और अभिनिर्धारित किया गया-

1.1 दुर्घटना दिनांक 26.01.1995 को हुई थी। इससे कुछ महीने

पहले ही संसद में अनतर्गत धारा 163ए मोटर वाहन अधिनियम के अधिनियम 54/1994 दिनांक 14.11.1994 में उक्त प्रावधान लागू किए थे। उक्त प्रावधान में यह निर्धारित किया गया था कि मोटर वाहन के मामलों में मालिक को मृत्यु या स्थाई अयोग्यता के मामलों में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा। जैसा कि द्वितीय अनूसूची में इस संबंध मं अधिनियम में बताया गया है। (पैरा 9)(612-डी, ई)

1.2 पूर्ण अयोग्यता को अन्तर्गत धारा 2(1) कामगार अधिनियम 1923 में परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ है कि ऐसी र्नियोग्यता चाहे वह स्थाई प्रकृति की हो या अस्थाई प्रकृति की हो, जो एक कर्मचारी को सभी कार्यो के लिए असक्षम बनाती है जबकि वह दुर्घटना से पहले उस कार्य को करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी र्नियोग्यता पैदा होती है। (पैरा 10)(612-डी, ई)

1.3 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 एक भिन्न मुद्दे से संबंधित है। उसके तहत मुआवजे की सीमा प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न अंशदायी लापरवाही, कमाई की क्षमता, दूसरे वाहन की लापरवाही की सीमा सहित अनेक अन्य कारण है, जिनसे नुकसान की गणना की जा सकती है तथा सम्पत्ति का नुकसान भी इस संबंध में देखा जाना होता है जबकि क्षतिपूर्ति निर्धारित की जानी हो। (पैरा 11)(612-डी, ई)

जनरल मैनेजर राज्य सडक परिवहन तिरवेदरम बनाम सुषमा थामस

व अन्य (1994) 2 एस सी सी 176, डा. के. जी पूर्बिया बनाम महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक कनार्टक राज्य सडक परिवहन निगम (2001) 9 एस सी सी 167 और यू पी राज्य सडक परिवहन निगम। वी. कृष्ण वाला व अन्य (2006) 6 एस.सी.सी 249

2.1 जब कोई व्यक्ति इस बात को साबित करने में विफल हो जाता है कि वह इस मामले में दावेदार है और उसने अपनी योग्यता पूर्ण रूप से खो दी है और वह शारारिक पीडा के अलावा दूसरों पर भी निर्भर हो गया है तो मुआवजे की उचित राशि से वंचित है।

2.2 हालांकि यह न्यायालय एक सामान्य कानून बनाने का कोई इरादा नहीं रखती है। निम्नतम मुआवजा प्रत्येक केस में उसकी प्रकृति के अनुसार और अयोग्यता के अनुसार निधारित किया जाना चाहिए तथा यह न्यायालय यह भी सुझाव नहीं देता है कि वह द्वितीय अनूसूची में गुणक को बदला जाना चाहिए या नहीं क्योंकि यह सभी परिस्थितियां पर निर्भर करता है।

दीपाल गिरीश भाई सोनी व अन्य बनाम यूनाईटेड इंडिया इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड बडौदा (2004) 5 एस.सी.सी385 पर निर्भर।

3. प्रस्तुत मामला इस बाबत् एक उपयुक्त और उचित मामला नहीं है। जहॉ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना हो।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: 2007 की सिविल अपील नम्बर 3988

आंधप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के 2000 के आदेश संख्या 528 और 1999 के सी.एम.ए. सं 3350 में पारित अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.2006 के विरूद्ध

ए. विनयराम, एस उदय कुमार सागर अपीलार्थी के लिए

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. जबकि इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा 15 के गुणाक से क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया था जो कि एक साधारण आदेश के द्वारा दिनांक 29.08.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

उपरोक्त प्रश्न को शुरू करने से पहले हम आधारभूति तथ्यों को देखते है, जो कि विवादित नहीं है। अपीलार्थी की उम्र दिनांक 26.01.1995 को दुर्घटना के समय 38 साल की थी और वह किसी कम्पनी में बढई (खाती) के रूप में कार्य कर रहा था। उसकी मासिक आय 4500/- रूपए थी ओर उसको लकडी का कार्य करने का 15 साल का अनुभव था। उसके माता पिता, पत्नी, उसकी दो पुत्रियां व उसका एक पुत्र उस पर आश्रित था

तथा 25.01.1995 की रात्रि को वह अपने घर आ रहा था जबकि वह अपने दोपाहिया वाहन पर था और उसी समय एक बस के द्वारा जो कि अपीलांट की बस थी, उससे उसकी दुर्घटना कारित हो गयी, वह सडक पर गिर गया और लगभग 10-15 मीटर तक घसीटता रहा और उसके शरीर पर विभिन्न गम्भीर चोटें आयी। जैसे की उसका बांया हाथ फ्रैक्चर हो गया, बांयी ओर की आठ पसलियों पर चोट आयी और पीलिया टूट गया और उसकी त्वचा तथ बांए हाथ पर चोटें थी। उसकी रीड की हड्डी में चोटें थी तथा तंत्रिका तंत्र में भी चोटें थी तथा उसके बांए साइड में कुंद हथियार की चोटें थी, जांघ में चोटें थी, जांघ, पडिलिया में भी चोटें थी और उसकी पूरे शरीर पर चोटें थी। उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था, उसका आपरेशन किया गया। उसके हाथ में एक स्टील की रोड लगानी पडी और वह पूर्ण रूप से अयोग्य हो गया और उसके कमाने की क्षमता समाप्त हो गयी।

3. उसने अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम में चार लाख रूपए की क्षतिपूर्ति के लिए दावा पेश किया। अधिकरण के द्वारा 12 प्रतिशत की दर से 85 हजार रूपए का अवार्ड पारित किया।

4. विपक्षी ने उसके विरूद्ध अपील दायर की और उच्च न्यायालय द्वारा उसके कारणों को स्वीकार करते हुए उसकी क्षतिपूर्ति को 85 हजार रूपए से बढाकर 1,62,500/- रूपए में परिवर्तित कर दिया।

5. मोटर वाहन अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार उसे लाभ दिया गया ओर इस प्रकार उस संरचना के अनुसार सूत्र के तहत क्षतिपूर्ति निर्धारित की गयी। सुषमा थामस व अन्य (1994) 2 एस सी सी 176 के पैरा नम्बर-14 में लार्ड डिप्लॉक ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति साधारण रूप से गुणक के गुणाकों का उल्लेख किया गया थाजो कि मृतक के अनुसार था। जब वह 25 साल का था ओर उसके पीछे उसकी हम उम्र उसकी विधवा पत्नी थी और उसके तीन नाबालिग बच्चे थे और लार्ड डिप्लॉक के अनुसार गुणक का अवलोकन निर्भरता के अनुसार किया गया था।

"किसी भी राशि को निर्धारित करने के लिए मुख्य बिन्दू निर्भर होने वाले व्यक्तियों और उनके वार्षिक मूल्य ओर उनके लाभ तथा उसकी कमाई जबकि उसकी मृत्यु हुई थी के द्वारा देखा जाता है लेकिन इसके अलावा अनेक ऐसे बिन्दू होते हैजो उसको ऊपर नीचे करने में आवश्यक होते है। शायद भविष्य में उसकी आय के स्त्रोत बढ जाते तथा जो आश्रित है, उनके कारण ही या उसकी राशि में कमी भी आ सकती है ओर वह बेरोजगारी भी हो सकता है जब उसके बच्चे बडे होते और वह स्वयं कमाने लग जाते और आत्मनिर्भर हो जाते तब भी परिवर्तन होते परनतु जो क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है, वह उस समय की क्षति की विभिन्न सम्भावनाओं को देखकर की जाती है ओर उस समय दो विचारधाराएं या दो कारक साथ में कार्य

करते है। पहला कारक की दूर वाली क्षति से अनुमानित बदलाव किया जाना और उसके भत्ते आदि भी परिवर्तित किया जा सकता है तथा दूसरा उसके अंकगणित की गणना भी बाद में कम ज्यादा हो सकती है, जो उसकी कुल क्षतियाेंं में भिन्नता करती है, जो कि उसके 20 वर्ष से हपले 10 साल में 100 पाउन्ड वार्षिक और अगले 10 साल में 200 पाउन्ड वार्षिक की है जिसका 12 साल का ब्याज साढे चार प्रतिशत होता है और उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए उसे 12 गुणाक से किया जाना चाहिए था"

अधिवक्ता ने इस संबंध में डा0 के. जी पूर्बिया बनाम महाप्रबंधक/उम्रदराज निदेशक कर्नाटक राज्य सडक परिवहन निगम, (2001) 9 पर भरोसा किया।

यद्यपि क्षतिपूर्ति के निर्धारण में उसके काम करने की क्षमता को निम्न आय से देखा जाता है। उसके दॉये हाथ में चोटें आयी हुई थी ओर स्थाई रूप से अयोग्यता हो चुकी थी ओर जिसकी वजह से अंगूठा और अगुलियों ने कार्य करना बंद कर दिया था और वह पूर्ण रूप से विकंलांग हो चुका था ओर रोगी को इलाज के लिए जाना पडता था ओर उसने अपने सुनने की क्षमता खो दी थी यद्यपि हम यह उपधारित करते है कि उसकी सुनने की क्षमता केवल पचास प्रतिशत थी और दुर्घटना के समय उसको 1500/- रूपए मासिक, 18 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार नुकसान हो रहा था और

यदि इसको 10 साल के अनुसार क्षतिपूर्ति 10 के गुणाक से गुणा किया जोव तो 1,80,000/- रूपए बनती है जो उसकी क्षतिपूर्ति में बढाए जाते है तो उसके मेडीकल खर्चे , उसके दर्द, सुविधाएं आदि की राशि 2,38,000/- रूपए होती है। ऐसा रिलायन्स बनाम यू पी राज्य सडक परिवहन निगम में भी रखा गया है।

13. सुषमा थामस के मामले में यह ब्याज दर लगभग 10 प्रतिशत के गुणाक से तैयार की गयी थी परन्तु वर्तमान में गुणाक को बढाने बाबत् मामला उठाया गया हे और 16 से 18 के गुणाक के अनुसार स्वीकार किया गया जो कि त्रिलोक चन्द मामले में द्वितीयक अनुसूची के प्रसंग मकें किया गया, यह भी जानकारी में आया कि इसमें अनेक त्रुटियों से परेशान होना पडा ओर इस संबंध में अन्य गाईड लाईन भी जारी हुई जबकि उच्च न्यायालय में गुणक 18। जो कि 21 से 25 साल की उम्र के संबंध में था जो की भारतीय नागरिक के द्वारा कमाई करने पर शुरू होता है और रिटायरमेन्ट की आयु 60-70 की आयु के लिए न्यू इंडिया इंशोरेन्स के मामले में बताया गया है।

8. इन सभी के विपरीत विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्ता उपस्थित हुए ओर उन्होंने यह तर्क दिया कि यह मामला इस संबंध में उचित मामला नहीं है जो कि विवेकीय क्षेत्राधिकार बाबत् निर्णित करता है। दीपाल गिरीशभाई सोनी और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय

बनाम यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बडौडा, (2004) 5 एससीसी 385 आकाशवाडी (2004) एससी 2107

9. हमने पहले यहॉ देखा था कि दिनांक 26.01.1995 के कुछ महीने पहले संसद में धारा 163 ए में संशोधान 54/1994 दिनांक 14.11.1994 से लागू किया था और उकत प्रावंधान एक अबाध्यकारी खण्ड में रखा गया था अन्य तथ्यों के साथ मोटर वाहन के मालिक को मृत्यु या स्थाई निर्योग्यता के बाबत् भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था जैसा कि द्वितीय अनुसूची में जोडा गया था।

10. कुल अक्षमता को धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। कामगाार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का अर्थ है " ऐसी अक्षमता" चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी प्रकृति की, जो एक श्रमिक को सभी कार्योे के लिए अक्षम बनातीज है। जिसे वह दुर्घटना के समय प्रदर्शन करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता।

11. जबकि धारा 166 इस से अलग मामले पर आधारित है। इसके तहत देय मुआवजे की सीमा मामले दर मामले भिन्न हो सकती है। अंशदायी लापरवाही, कमाई की क्षमा, एक या दूसरे वाहन की ओर से लापरवाही की सीमा सहित कई अन्य कारण प्रासंगिक है। क्षति की गणना के लिए कारक, सम्पत्ति का नुकसान भी दावा याचिका का विषय हो सकता है। दीपाली गिरीश भाई में इस न्यायालय ने टिप्पणी की है।

"इस प्रकार, धारा 163ए उन लोगों के एक वर्ग को तत्काल राहत देने के लिए अधिनियमित की गयी थी, जिनकी वार्षिक आय 40,000/- रूपए से अधिक नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की अधिनियम की धारा 163ए के संदर्भ में दूसरे के साथ पढा जावे। इसके साथ संलग्न अनूसूची, मुआवजे का भुगतान न केवल पीडित की उम्र और उसकी आय को ध्यान में रखते हुए बल्कि उसके लिए प्रांसगिंक अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एक संरचित फोर्मूले पर किया जाना है। इसलिए, इसके तहत दिया गया पुरस्कार, मामले का पूर्ण और अन्तिम निपटान होगा। दावा जैसा कि अधिनियम से जुडी दूसरी अनूसूची में शामिल विभिन्न कॉलमों से प्रतीत होता है। यह प्रकृति में अन्तरिम नहीं है। कॉलम 1 से जुडा नोट जो घातक दुर्घटनाओं से संबंधित है, यह बताते हुए स्थिति को और स्पष्ट करता है कि मुआवजे की कुल राशि से इसका एक तिहाई हिस्सा सी में उन खर्चो को ध्यान में रखते हुए कम किया जाता है जो पीडित ने जीवित रहने पर अपना भरण-पोषण करने के लिए किया होता। कॉलम 2 से 6 में दिए गए मुआवजे के अन्य मदों के साथ इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इसमें संसद का इरादा पीडितों के एक वर्ग को पर्याप्त मुआवजा देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना बनाने का था, जिन्हें यह साबित करने के लिए कोई लम्बी मुकदमेबाजी किए बिना मुआवजे की राशि की आवश्यकता होगी कि दुर्घटना मोटर चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। वाहन या मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली अन्य कोई खराबी।"

13. इसलिए, हम यह कल्पना करने में विफल है कि इस प्रकृति के मामले में एक दावेदार को मुआवजे की उचित राशि से वंचित किया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि उसने कमाई करने की अपनी क्षमता स्थाई रूप से खो दी है और इतने बडे शारारिक कष्ट के अलावा अन्य पर निर्भर रहता है। संसद द्वारा सुझाए गए गुणक को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

14. हालांकि, हमारा कोई सामान्य कानून बनाने का इरादा नहीं है। हम यह बताना चाहते है कि इस प्रकृति के मामले में देय न्यूनतम मुआवजे को पीडित द्वारा झेली गयी विकलंगता की पीडा से माना जाना चाहिए। हम यह सुझाव नहीं दे रहे है कि कुछ स्थितियों में, दूसरी अनूसूची में निर्दिष्ट गुणक को बदला नहीं जा सकता है और न ही बदलना चाहिए, लेकिन इसके लिए मजबूत परिस्थितियॉ मौजूद होनी चाहिए। वर्ष 1995 में, ब्याज की दर सुषमा थॉमस(सुप्रा) में विचार की गयी ब्याज दर से कम थी। गुणक कारक के अनुप्रयोग पर भी उसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

सुषमा थॉमस (सुप्रा) या विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णय, पूर्ण रूप से कोई कानून नहीं बनाते है।

15. कृष्णा वाला (सुप्रा) में, डिवीजन बैंच ने माना कि मुआवजे की राशि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए कि यदि

स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उचित ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो कितनी राशि प्राप्त होगी। वार्षिक ब्याज के माध्यम से गुणनफल। इसलिए, ब्याज दर पर एक प्रांसगिक कारक थी।

16. इसके अलावा, इस प्रकृति के मामले में, हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त और उचित मामला नहीं है, जहॉ हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

17. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है। अपीलकर्त्ता सी उत्तरदाताओं की लागत वहन करेंगा। वकील की फीस रूपए 25,000/- निर्धारित की गयी।

बी बी बी

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति कुमारी सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।